धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30.6.25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] [illegible] से प्राप्त [illegible] आवेदन [illegible] के [illegible] आई बाद फाईनल डिक्री किया गया। विपक्ष [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] किया गया, ताकि [illegible] फाईनल डिक्री जारी की जाई। पत्रावली [illegible] की [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [initials]

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 141 / 2022 तारीख दायरा 02.12.2022

उनवान

1. सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।
2. कमलकान्त पुत्र छगनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — वादीगण

बनाम

1. गुड्डीबाई पुत्री बाबूलाल जाति धाकड पत्नी बंशीलाल निवासी ग्राम साण्ड्याखेडी तहसील चेचट जिला कोटा।
2. भरतलाल पुत्र बाबूलाल जाति धाकड,
3. राकेश पुत्र बाबूलाल जाति धाकड,
4. नन्दकंवरी पत्नी स्व० बाबूलाल जाति धाकड,
5. चरण पुत्र लटूर जाति धाकड,
6. मोहनलाल पुत्र लटूर जाति धाकड,
7. शंभूदयाल पुत्र लटूर जाति धाकड निवासीगण ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
8. चन्द्रबाई पुत्री लटूर पत्नी रमेश जाति धाकड निवासी ग्राम चनावता तहसील सांगोद जिला कोटा।
9. पार्वतीबाई पत्नी स्व० लटूर जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तह० सांगोद।
10. रुकमणीबाई पुत्री प्रभू पत्नी मोहनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बडवा तहसील अन्ता जिला बारां।
11. राजकुमार नाबालिग पुत्र राधाकिशन जरिये वली माता सुगनाबाई पत्नी राधाकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद।
12. सुगनाबाई पत्नी राधाकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
13. हरिशंकर पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

15. ज्योति पुत्री स्व. राधाकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

16. पूजा पुत्री स्व. राधाकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादीगण) दिनांक :— 30/6/25

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादी सं 11 व 12)

—— निर्णय ——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजीयात माल ग्राम श्यामपुरा पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
श्यामपुरा	नई 277	257	3.52

कुल 1 किता की कुल 3.52 हैक्टर आराजीयात

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
श्यामपुरा	नई 132	258	0.14
		263	0.01
		264	3.94

कुल 3 किता की कुल 4.09 हैक्टर आराजीयात

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
श्यामपुरा	नई 133	255	0.01
		256	0.01
		258	0.01
		673	0.22
		689	0.35

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

		690	0.17
		817	0.08

कुल 7 किता की कुल 0.85 हैक्टर आराजीयात

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
श्यामपुरा	नई 134	559	1.68

कुल 1 किता की कुल 1.68 हैक्टर आराजीयात

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
श्यामपुरा	नई 135	810	0.84
		811	0.54
		814	0.54

कुल 3 किता की कुल 1.92 हैक्टर आराजीयात

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
श्यामपुरा	नई 136	568	0.20

कुल 1 किता की कुल 0.20 हैक्टर आराजीयात

माल ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान के खाता स० नई 132 की कुल 3 किता की 4.09 हेक्टर आराजी के पुराने खसरा न0 287 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा स्थित थे। उक्त खसरा नम्बर में से वादी सं 1 ने जरिये विक्रय विलेख पंजीयन करवाकर 3/4 हिस्सा खरीद कर लिया था। उसके साथ ही माल ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद के खाता स० 132, 133, 134, 135, 136 की सम्पूर्ण आराजीयात में वादी की मां रामकन्याबाई का 1/6 हिस्सा निहित है तथा उक्त खातेदार रामकन्याबाई ने अपने हिस्से की वसीयत अपने जीवनकाल में वादी सं 1 के 1/4 हिस्सा व शेष आराजी का 3/4 हिस्सा नरेन्द्रमोहन पुत्र छगनलाल व कमलकान्त पुत्र छगनलाल के हक में बराबर से वसीयत कर दी थी। जिसका इन्तकाल खुलकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है।

माल ग्राम श्यामपुरा पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान के खाता स० नई 132 के खसरा न0 258, 263, 264 कुल 3 किता की कुल 4.09 हेक्टर आराजीयात मौके पर एक चक के रूप में स्थित है, जिसको अन्य सभी सहखातेदारान ने इस आराजी के अन्तर्गत बेचान किया था, मौके पर सभी सहखातेदारान ने वादी को उक्त खसरा नम्बर 258, 263, 264 कुल 3 किता की कुल 4.09 हेक्टर आराजीयात पर कब्जा संभलाया था, जो आज दिन तक बदस्तूर चला आ रहा है। इस प्रकार सम्पूर्ण हिस्सा खरीदशुदा आराजीयात के फलस्वरूप व वसीयतनामे के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

हिस्से में आयी आराजीयात के फलस्वरूप वादी उक्त वर्णित आराजी 4.09 हेक्टर पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। अन्य शेष आराजीयात में वादी सुरेश कुमार का बतौर खातेदार कृषक राजस्व रेकार्ड में नाम चला आ रहा है जिस पर वादी काबिज नहीं है। उक्त कृषि भूमि में से वादी का नाम डिलीट कर राजस्व रेकार्ड में से हटाया जाना आवश्यक है। माल ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद के खाता स० नई 277 के खसरा न० 257 की 3.52 हेक्टर व खाता स० नई 136 के खसरा न0 568 की 0.20 हेक्टर, खसरा न० 134 के खसरा न0 559 की 1.68 हेक्टर, खसरा न0 135 के खसरा न० 810, 811, 814 कुल 3 किता की 1.92 हेक्टर व खाता स० नई 133 के खसरा न० 255, 256, 558, 673, 689, 690, 817 कुल किता 7 की कुल 0.85 हेक्टर आराजीयात में निहित वादी का प्रत्येक जमाबन्दी में दर्ज 5/48 हिस्से से वादी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे। जिसके फलस्वरूप वादी को खाता स० नई 132 के खसरा न0258,263,264 कुल किता 3 की कुल 4.09 हेक्टर आराजी संभला रखी है, जिसको वादी के खाते मे दर्ज किया जाना आवश्यक है।

माल ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान के खाता स० नई 132 के खसरा न0258, 263, 264 कुल किता 3 की कुल 4.09 हेक्टर आराजी में दर्ज अन्य सहखातेदार प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे। इस प्रकार माल ग्राम श्यामपुरा के साबिक खसरा न० 287 की 25 बीघा 5 बिस्वा आराजी को अलग अलग समय अवधि पर खातेदारान कल्याणीबाई, राधाकिशन, भवानीशंकर, हंसराज से जरिये विक्रय विलेख खरीद की है। इसी प्रकार नर्बदाबाई बेवा रामनाथ का हिस्सा सुरेश कुमार ने खरीद लिया है। राधाकिशन, भवानीशंकर, हंसराज खातेदारान का प्रत्येक का हिस्सा पूर्व में रामकन्याबाई ने खरीद लिया था। इस प्रकार खसरा न0 287 की 25 बीघा 5 बिस्वा पर वादी को मौके पर कब्जा दिया गया था। जिसके बाद सेटलमेन्ट खसरा न0 258, 263, 264 कुल 4.09 हेक्टर आराजीयात मौके पर वादी के काबिज काश्त में चली आ रही है। जिसका वादी खातेदार कृषक राजस्व रेकार्ड में होने का अधिकारी है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा, विभाजन व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे कि:–

माल ग्राम श्यामपुरा पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान के खाता स० नई 132 के खसरा न0 258, 263, 264 कुल किता 3 की कुल 4.

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद ।जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

.50 हेक्टर आराजी में से वादी सं. 2 कमलकान्त को खसरा न० 258 की 0.14 हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0 264 की 3.94 हेक्टर में से 0.37 हेक्टर कुल 2 किता की 0.51 हेक्टर आराजी का व शेष बची 3.58 हेक्टर आराजी का वादी सं.1 सुरेशकुमार को खातेदार कृषक घोषित किया जावे. (खाता स० 277, 133, 134, 135, 136 वादग्रस्त आराजी में निहित वादी सं.1 के 5/48 हिस्सा व वादी सं.2 के 1/16 हिस्सा को प्रतिवादीगण के हिस्से में समाहित करते हुए) मौके पर कब्जे काश्त अनुसार प्रतिवादीगण 1 ता 10 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी के हक में घोषणा की डिक्री पारित फरमायी जावे तथा अन्य सहखातेदारान प्रतिवादीगण 1 ता 10 का नाम खाता स० नई 132 की आराजी से डिलीट किया जावे। शेष वादग्रस्त आराजीयात में से वादीगण का नाम डिलीट किया जाकर अन्य सहखातेदारान प्रतिवादीगण 1 ता 10 के हिस्से में दर्ज हिस्सा अनुसार समाहित कर दिया जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में उक्त आराजी का खाता विभाजन किया जाकर विभाजन की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राज लगान प्रथक प्रथक अंकन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी स. 11, 12, 15, 16 की ओर से अधिवक्ता श्री नाथूलाल नागर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा विवादित आराजी पर मुताबिक मौके पर कब्जा अनुसार खाता विभाजन किया जाकर वाद पत्र डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया। वादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 10 एवं 13 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित हैं अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रांक 818 दिनांक 30.05.2024 के माध्यम से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण खाता स० नई 132 के खसरा न0 258, 263, 264 कुल किता 3 की कुल 4.09 हेक्टर आराजी पर काश्त कर रहे हैं तथा खाता सं. 277, 133, 134, 135, 136 की आराजी पर वादीगण काश्त नहीं कर रहे हैं, प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है। उक्त के आधार पर प्रकरण में तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया। मेरे द्वारा बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, इकरारनामा, जवाब सरकार आदि के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर दिनांक 30.12.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार सांगोद को

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार सांगोद द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

इसके उपरान्त पत्रावली बहस विभाजन प्रस्ताव में नियत की गई। पक्षकार अधिवक्ता द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर शामील पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम श्यामपुरा पटवार हलका श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान के खाता सं० नई 132, 277, 133, 134, 135, 136 की वादग्रस्त आराजी पर पक्षकारों को निम्न प्रकार से खाता विभाजन कर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

ग्राम	खातेदार का नाम एवं हिस्सा	ख.न.	रकबा हैक्टर	लगान
श्यामपुरा	सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल जाति	258	0.14	1.12
	धाकड निवासी श्यामपुरा रहन	263	0.01	–
	राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सांगोद	264	3.94	86.68
		3 किता की कुल	4.09 है.	87.80

ग्राम	खातेदार का नाम एवं हिस्सा	ख.न.	रकबा हैक्टर	लगान
श्यामपुरा	गुड्डीबाई पुत्री बाबूलाल हिस्सा 13/480, चन्द्रबाई पुत्री लटूर हिस्सा 7/120, चरण पुत्र लटूर हिस्सा 7/120, नन्दकंवरी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 13/480, पार्वती बाई पत्नि लटूरलाल हिस्सा 7/120, भरतलाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 13/480, मोहनलाल पुत्र लटूर हिस्सा 7/120, रूकमणीबाई पुत्री प्रभु हिस्सा 1/10, राकेश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 13/480, शम्भूदयाल पुत्र लटूर हिस्सा 7/120, भूलेश नागर पत्नि कमलकान्त हिस्सा 1/2 जाति धाकड	568	0.20	5.40
		1 किता की कुल	0.20 है.	5.40

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद ।जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम	खातेदार का नाम एवं हिस्सा	ख.न.	रकबा हैक्टर	लगान
श्यामपुरा	गुड्डीबाई पुत्री बाबूलाल हिस्सा 13/480, चन्द्रबाई पुत्री लटूर हिस्सा 7/120, चरण पुत्र लटूर हिस्सा 83/3480, नन्दकंवरी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 13/480, पार्वती बाई पत्नि लटूरलाल हिस्सा 7/120, भरतलाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 13/480, मोहनलाल पुत्र लटूर हिस्सा 7/120, रुकमणीबाई पुत्री प्रभु हिस्सा 1/10, राकेश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 13/480, शम्भूदयाल पुत्र लटूर हिस्सा 7/120, ज्योति पुत्री राधाकिशन हिस्सा 1/8, पूजा पुत्री राधाकिशन हिस्सा 1/8, राजकुमार पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/8, सुगनाबाई पत्नि राधाकिशन हिस्सा 1/8, हरिशंकर पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/29 जाति धाकड	257	3.52	77.44

1 किता की कुल 3.52 है. 77.44

ग्राम	खातेदार का नाम एवं हिस्सा	ख.न.	रकबा हैक्टर	लगान
श्यामपुरा	गुड्डीबाई पुत्री बाबूलाल हिस्सा 13/480, चन्द्रबाई पुत्री लटूर हिस्सा 7/120, चरण पुत्र लटूर हिस्सा 83/3480, नन्दकंवरी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 13/480, पार्वती बाई पत्नि लटूरलाल हिस्सा 7/120, भरतलाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 13/480, मोहनलाल पुत्र लटूर हिस्सा 7/120,	810	0.84	7.56
		811	0.54	4.86
		814	0.54	4.86

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

रूकमणीबाई पुत्री प्रभु हिस्सा 1/10, राकेश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 13/480, शम्भूदयाल पुत्र लटूर हिस्सा 7/120, छोटीबाई पत्नि बालकिशन हिस्सा 1/3, रामबिलास पुत्र बालकिशन हिस्सा 1/6, हरिशंकर पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/29

3 किता की कुल 1.92 है. 17.28

ग्राम	खातेदार का नाम एवं हिस्सा	ख.न.	रकबा हैक्टर	लगान
श्यामपुरा	गुड्डीबाई पुत्री बाबूलाल हिस्सा 13/480, चन्द्रबाई पुत्री लटूर हिस्सा 7/120, चरण पुत्र लटूर हिस्सा 83/3480, नन्दकंवरी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 13/480, पार्वती बाई पत्नि लटूरलाल हिस्सा 7/120, भरतलाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 13/480, मोहनलाल पुत्र लटूर हिस्सा 7/120, रूकमणीबाई पुत्री प्रभु हिस्सा 1/10, राकेश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 13/480, शम्भूदयाल पुत्र लटूर हिस्सा 7/120, भूलेश नागर पत्नि कमलकान्त हिस्सा 1/2, हरिशंकर पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/29 जाति धाकड	559	1.68	45.36

1 किता की कुल 1.68 है. 45.36

ग्राम	खातेदार का नाम एवं हिस्सा	ख.न.	रकबा हैक्टर	लगान
श्यामपुरा	गुड्डीबाई पुत्री बाबूलाल हिस्सा	255	0.01	–
	13/480, चन्द्रबाई पुत्री लटूर हिस्सा	256	0.01	–
	7/120, चरण पुत्र लटूर हिस्सा	558	0.01	–
	7/120, नन्दकंवरी पत्नि बाबूलाल	673	0.22	5.94

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा 13/480, पार्वती बाई पत्नि लटूरलाल हिस्सा 7/120, भरतलाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 13/480, मोहनलाल पुत्र लटूर हिस्सा 7/120, रूकमणीबाई पुत्री प्रभु हिस्सा 1/10, राकेश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 13/480, शम्भूदयाल पुत्र लटूर हिस्सा 7/120, ज्योति पुत्री राधाकिशन हिस्सा 1/8, पूजा पुत्री राधाकिशन हिस्सा 1/8, राजकुमार पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/8, सुगनाबाई पत्नि राधाकिशन हिस्सा 1/8, जाति धाकड	689 690 817	0.35 0.17 0.08	9.45 4.59 0.72
	7 किता की कुल	0.85 है.	20.70

उक्त घोषणा के अनुक्रम में आराजी का विभाजन किया जाकर राज लगान पृथक–पृथक अंकन किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शाट्रेस में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर यथावत रहेगा। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30/6/25 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner